



सं. /F. NIDH/GA/02/03/20-21/A563

दिनांक /Dated: 13/06/2025

### परिपत्र CIRCULAR

परिपत्र संख्या NIDH/GA/02/03/20-21/A414 दिनांक 06.06.2024 एवम् अवकाश के मामले से संबंधित जारी संचार के क्रम में यह दोहराया जाता है कि सभी कर्मचारियों को अपना अवकाश अनुरोध केवल ERP अवकाश पोर्टल के माध्यम से ही करना चाहिए।

हालांकि, अवकाश पोर्टल के माध्यम से अवकाश के लिए आवेदन करते समय उत्पन्न किसी भी परिस्थिति/तकनीकी त्रुटि के मद्देनजर, कर्मचारी संस्थान के अवकाश आवेदन पत्र के साथ-साथ सामान्य आवेदन के माध्यम से अवकाश के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पोर्टल के माध्यम से आवेदन न करने का कारण बताया गया हो एवम् ऑनलाइन आवेदन करते समय हुई त्रुटि (यदि कोई हो) का स्क्रीनशॉट भी संलग्न करना होगा।

प्रयास यह किया जाना चाहिए कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जाए। ऑफलाइन आवेदन केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है

In continuation to Circular No. NIDH/GA/02/03/20-21/A414 dated 06.06.2024 and communications issued relating to the matter of leave. It is reiterated that the all employees must apply their leave request through ERP Leave Portal only.

However, in view of any circumstance/technical error generated while for applying leave through leave portal, employees can apply the leave through the Institute's leave application form along with general application mentioning the reason for not applying via portal. A screen-shot of the error (if any) while applying online is also to be attached.

Efforts to be made to apply online only. Offline mode to be practiced only under unavoidable circumstances.

This issues with the approval of the Competent Authority.

प्रशासनिक अधिकारी / Administrative Officer

सेवा में:- सभी संबंधित कर्मचारी सदस्य।

To: - All the concerned staff members.

प्रतिलिपि/Copy to:

1. निदेशक के निजी सचिव-निदेशक के सादर सूचनार्थ हेतु।
2. गार्ड संचिका।